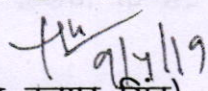
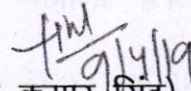


आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
09.04.2019	Board of Revenue, Bihar, Patna Service Appeal Case No.-04 of 2019 Dist.:- Patna PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member. Sri Ajay Kumar mandal - Petitioner/ Appellant Versus The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party Appearance : For the Petitioner : For the OP : <u>ORDER</u> प्रस्तुत सेवा अपील सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 1018 दिनांक- 23.01.2019 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है। श्री अजय कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल सहरसा सम्प्रति युवा उप मिशन (बिहार विकास मिशन), मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 9931 दिनांक- 26.07.2018 द्वारा अधिरोपित <u>“चेतावनी एवं संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक”</u> की शास्ति के विरुद्ध सेवा अपील सं०- 21/2018 दायर किया गया था। जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक- 17.12.2018 को वाद को अनुशासनिक प्राधिकार को Fresh Order पारित	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	करने हेतु Remand किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दंडादेश संख्या- 9131 दिनांक- 26.07.2018 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण मामले पर पुर्नविचार करते हुए चेतावनी की शास्ति अधिरोपित किया गया। अपीलार्थी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की अपीलार्थी को दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	